

फर्द अहकाम

अजरंगलाल बनाम

केलाश १००

नाम न्यायालय - उपखण्ड अधिकारी फागी
केस संख्या..... 82/2024 १२

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
----------	---------------------------	----------------------	-------------

21/11/24 पत्रावली पेश। वकील प्राची उपस्थित प्राचीना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर पछील प्राचीगण की ~~एस एकरण~~ सुनी गई। पत्रावली को अवलोकन किया। अवलोकन करने पर पाया कि वाद तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा (है) पक्षकारान के हठ एवं अधिकार मूलवाद में लय किये जाने हैं। इस प्र.पत्र में अप्राचीगण के विरुद्ध एकरण कार्यवाही अमल में लाई गई है। पक्षकारान में अनावश्यक विवाद नहीं बड़े एवं वाद बहुलता नहीं है। इस बिन्दु के मध्य नजर प्राचीगण का प्र.पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय के आदेश दिनांक 20.2.24 को मूलवाद के निस्तारण तक क-कर्म किया जाता है। पत्रावली फंसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम है।

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला-दूदू